

11)

पत्रावली पत्रा हुई। प्राचीन के अधिपत्रा उपस्थित
है। मन्थार निषेधाज्ञा आगामी पत्रा लख
बहाल जाती है। पत्रावली दिने 24/12/19 को
पत्रा है।

24.12.19


पत्रावली पत्रा हुई विपक्षीय वाक्यवृत्त नारील
उपस्थित गही होने से उक्त विरुद्ध एक पक्षीय
कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
साथ ही प्राचीन वसुधैव कुटुम्बकम् प्रकृत
विषय 60 मिनट कि विपक्षीय के विरुद्ध एक
पक्षीय कार्यवाही हो चकी है रेकार्ड एवं मोके
की प्रथा रखिते कागज रखने का कोदेश
कारभावे जिस पर एक पक्षीय वाक्य सुनकर
प्राचीन पर स्वीकार किया गया तथा
विपक्षीय के विरुद्ध इस आशय की आस्था
निषेधाज्ञा जारी की जाती है वि.सं. 249
के अन्तर्गत 3.9.55 में जारी हुई का निर्णय
करे के अन्तर्गत से काराव तथा प्राचीन को
उक्त एक विरुद्ध तक अवरोध कादखल गही
करे तथा प्राचीन के उपभोग उपभोग में
जिसी तरह भी वाक्य उपभोग गही कर रेकार्ड
एवं मोके प्रथा रखिते कागज रखे।

249

प्रकरण सं 17/2019 (2019-10011)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रीमती रत्नमणी vs गंगादेवी गुजर वि. दागडा	नम्बर व त अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	--	---

पत्रावली इन्ही अनुमाह विचारों भी जाकर
वाड वायपला रजिस्टर से काम होकर
मालवाड के साथ सलोक है।


24.12.19



(सुन्दर कालच काठकोड)
RA-5
जिल्हा कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाडा)

